(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1111–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–01–2014 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन – प्रकरण कमांक 107/2012–13 अपील

खन्ना शाह पुत्र पुत्र कल्लू शाह फकीर
ग्राम सिलोदामोरी तहसील व जिला उज्जैन ---आवेदक

विरूद्ध

गेणावाई पत्नि स्व. छतर सिंह
ग्राम सिलोदामोरी तहसील व जिला उज्जैन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री सुश्री सुमन चौरसिया)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री अखलाकउद्दीन कुरेशी)

<u>अ ा दे श</u>

(आज दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को पारित)

अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 107/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–01–2014 के विरूद्ध यह निगरानी म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार उज्जैन के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि अनावेदक के नाम ग्राम सिलोदामोरी में भूमि सर्वे कमांक 511 रकबा 0.440 हैक्टर (आगे जिसे वादोक्त भूमि अंकित किया गया है) है, किन्तु इस भूमि

पर वह 12 वर्षो से कब्जा करके खेती कर रहा है इसलिये उसका नाम शासकीय अभिलेख में कब्जेदार के रूप में दर्ज किया जावे। नायव तहसीलदार उज्जैन ने प्रकरण कमांक 8 अ 6 अ/11-12 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 27-2-12 पारित करके वादोक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन के समक्ष अपील कमांक 47/11-12 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 19-11-12 से अपील स्वीकार की गई एंव रिकार्ड में वादोक्त भूमि पूर्व स्थिति अनुसार अंकित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 107/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-01-2014 से अपील निरस्त हुई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि नायव तहसीलदार उज्जैन ने प्रकरण कमांक 8 अ 6 अ/11-12 में पारित आदेश दिनांक 27-2-12 से वादोक्त भूमि की भूमिस्वामिनी विधवा महिला की भूमि पर आवेदक का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज करने के आदेश संहिता की धारा 115 सहपठित 116 के अंतर्गत दिये है। विचार योग्य है कि क्या इन धाराओं के अधीन किसी कृषक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा दर्ज किया जा सकता है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115 तथा 116 की व्याप्ति - नई प्रविष्टि नहीं की जा सकती - अपितु धारा 114 के अधीन

तैयार किये गये अभिलेख में यदि त्रृटिवश अपलेखन से अथवा भूल से गलत प्रविष्टि हो जाती है - इन धाराओं के अधीन शुद्ध की जा सकती है। स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार ने संहिता की उपरोक्त धाराओं में दिये गये प्रावधानों के विपरीत जाकर निष्कर्ष निकालते हुये त्रृटिपूर्ण आदेश पारित किया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन ने अपील क्रमांक 47/11-12 में पारित आदेश दिनांक 19-11-12 से विधिवत् निरस्त किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्रकरण क्रमांक 107/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-01-2014 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 107/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-01-2014 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर